247 13 रोगग्रस्त सीपीएसई और 50 करोड़ रूपए से कम आय स्तर वाले श्रेणी 'घ' की सीपीएसई में प्रतिपूर्ति पैकेज के संबंध में दूसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) की सिफारिशें; उनकी जांच।

सरकार ने दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए, जिसे सीपीएसई के कार्यकारी अधिकारियों और गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के वेतन व भत्तों के संशोधन की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था, 01.01.2007 से यह निर्णय लिया है कि अन्य बातों के साथ–साथ उपर्युक्त विषय पर दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों की अलग से जांच की जाएगी। दूसरी पीआरसी की रिपोर्ट के पैरा 6.2.4 और 6.2.5 (ख) में यथा प्रदत्त प्रासंगिक उद्धरण अनुबंध–I पर दिए गए हैं।

2. आपके मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई की सूची जिन्होंने लोक उद्यम सर्वेक्षण 2006–07 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2006–07 में हानि उठाई है, अनुबंध–II पर है।

3. सीपीएसई के संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन सिफारिशों के कार्यान्वयन और इसे संचालित करने की पद्धति की व्यवहार्यता के बारे में 12.02.2009 तक अपने सुविचारित अभिमत मुहैया करे। रोगग्रस्त सीपीएसई, यदि कोई हो, के संबंध में डीपीई को भेजी गई प्रस्ताव की स्थिति से संदर्भ के लिए बीआरपीएसई को भी सूचित किया जाए।

अनुबंध–I

रोगग्रस्त सीपीएसई और 50 करोड़ रूपए से कम आय स्तर वाले श्रेणी 'घ' की सीपीएसई में प्रतिपूर्ति पैकेज के संबंध में दूसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) की सिफारिशें।

"6.2.4 अलाभकारी यूनिट

समिति की सिफारिश है कि उन रोगग्रस्त उद्यमों को जोखिम वेतन अथवा वेरिएबल वेतन के बिना वेतन संशोधन लागू करने की अनुमति दी जाए जो नकद लाभ कमा रहे हैं। ऐसे सीपीएसई की पुनरोद्धार अथवा बंद करने के लिए छह माह की अवधि में बीआरपीएसई द्वारा जांच की जानी चाहिए जो नकद लाभ नहीं कमा रहे हैं। ऐसे उद्यमों को संशोधित वेतनमानों के प्रस्तावों में शामिल किया जाना चाहिए जिनके संबंध में पुनरोद्धार की सिफारिश की गई है। यदि उद्यम के बंद करने की सिफारिश की गई है, कार्यकारी अधिकारी को संस्तुत संशोधत मूल वेतन के आधार पर प्रतिपूर्ति का भुगतान कर अनिवार्यत सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए। उन्हें प्रतिपूर्ति का भुगतान पूरी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए दो माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते की दर पर अथवा शेष सेवावधि के लिए वेतन के बराबर राशि, जो भी कम हो, पर किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि जहां रोगग्रस्त कंपनी को अध्यक्ष/प्रबंधन निदेशक/निदेशक द्वारा किए गए प्रयासों से नकद लाभ कमाने के स्तर पर लाई गई हो, ऐसे अधिकारियों को 60 वर्ष की उम्र तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए ताकि वे सीपीएसई के पुनरोद्धार का अच्छा काम जारी रखे।"

"6.2.5 अन्य सिफारिशें

ख) श्रेणी 'घ' में 50 करोड़ रुपए से कम आय स्तर वाले उद्यम इतने छोटे हैं कि उनका प्रतिमान अंतरण अध्याय में बताए गए कारणों से केंद्र सरकार द्वारा नहीं चलाया जा सकता। सरकार आमेलन, निजीकरण या किसी और तरीके से इन उद्यमों को वापस ले सकती है।"

अनुबंध–II

59 सीपीएसईज की सूची जिन्हें 2006–07 में घाटा हुआ था

(रु लाख.में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग/सीपीएसई का नाम	2006–07 में घाटा हुआ
	भारी उद्योग विभाग	
1	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	-43
2	टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-4793
3	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	-71 6
4	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-2250
5	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-3750
6	नगालैंड पल्प और पेपर कंपनी लिमिटेड	-1436
7	नेपा लिमिटेड	-4447
8	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	-2414
9	रिचर्डसन और क्रुडास लिमिटेड	-3762
10	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	-160
11	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-14978
12	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	-4685
13	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड	-3470
14	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	- 31068
15	एचएमटी वाचेज लिमिटेड	-19581
16	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	-2780
17	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	-8957

18	एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड	-3991
19	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	-15186
20	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	-65306
21	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	-95
	वस्त्र मंत्रालय	
22	बर्ड्स, जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-463
23	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-366
24	ब्रशवेयर लिमिटेड	-4
25	नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडिएरी	- 53580
26	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-79449
27	जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-4404
28	हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-267
	उर्वरक विभाग	
29	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-11478
30	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	-12473
31	फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-143259
32	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड	- 106514
33	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-6237
	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	
34	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-469
35	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	- 35116
36	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	-931
37	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	- 71
38	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड	-120
	इस्पात मंत्रालय	
39	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-8350
40	भारत रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	- 1532
41	जेएंडके मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	- 18
	पोत–परिवहन विभाग	
42	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	-7297

	शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय	
43	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	-1463
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	
44	हिंदुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड	- 2291
	रेल मंत्रालय	
45	कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड	-23328
46	ताजा और स्वस्थ उद्यम लिमिटेड	- 19
	नागर विमानन मंत्रालय	
47	एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	-7053
48	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड	-8536
49	इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड	-24029
50	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	-23
51	एयर इंडिया लिमिटेड	-44793
52	होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	- 1271
	दूरसंचार विभाग	
53	आईटीआई लिमिटेड	-40526
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	
54	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	- 153
55	उत्तर–पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-247
	पर्यावरण और वन मंत्रालय	
56	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं संयंत्र विकास निगम लिमिटेड	- 1340
	पर्यटन मंत्रालय	
57	उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड	-117
	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	
58	भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल कार्पोरेशन लिमिटेड	-343
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
59	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	-527

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2(74)/08–डीपीई–(डब्ल्यूसी), दिनांक 14 जनवरी, 2009)

*****